ममता बनाम प्रेमा दी0म0 वाद सीआईएस संख्या-25/2019

निर्णय दिनांक: 07.11.2020

न्यायालय, सिविल न्यायाधीश दूनी, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी- जितेन्द्र रैया, आरजेएस) दीवानी मूल वाद सीआईएस संख्या 25/2019

1. ममता पत्नी प्रेमा पुत्री बजरंगलाल, आयु तत्कालीन 28 वर्ष, निवासी गुढागोपाल जी, तहसील नैनवा जिला बूंदी, राजस्थान।

.....वादीया

बनाम

1. प्रेमा पुत्र प्रहलाद, आयु तत्कालीन 31 वर्ष, निवासी बालागढ, तहसील दूनी, जिला टोंक, राजस्थान।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा विवाह-विच्छ्रेद

उपस्थित:-

- 1. वादीया की ओर से अधिवक्ताः श्रीरमेश शर्मा, श्री दीपक शर्मा, ।
- 2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

-निर्णयः-

दिनांक: 07 नवम्बर, 2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया का प्रतिवादी के विरुद्ध एक दावा इन तथ्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि पक्षकारान मीणा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जिनपर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। वादीया का विवाह प्रतिवादी के साथ वाद प्रस्तुत करने से लगभग 21 वर्ष पूर्व वर्ष 1998 में मीणा जाति में प्रचलित रीति रिवोजों के अनुसार उसके पिता के निज आवास पर अक्षय तृतीया (आखातीज) के दिन उपस्थित परिवारजनों, रिश्तेदारों व समाज के लोगों की मौजूदगी में सप्तपदी से संपन्न हुआ था। विवाह के समय वादीया व प्रतिवादी नाबालिग थे, जिस पर वादीया विवाह के समय एक-दो दिन रूककर वापस पीहर आ गई थी। बालिग होने के उपरान्त परिवादी के यहां अपने ससुराल गई और बतौर पत्नी रहकर दाम्पत्य जीवन की पालना करने लगे। प्रारम्भ में वैवाहिक जीवन सामान्य चलता रहा, किन्तु कुछ दिनों के उपरान्त कटूता उत्पन्न होने लगी तथा वैचारिक मतभेद रहने लगा। वादीया व परिवादी के मध्य छोटी-छोटी पारीवारिक बातों को लेकर मनमुटाव रहने लगा, जिसके कारण वर्ष 2012 में प्रतिवादी, वादीया को उसके पीहर में छोडकर चला गया और उसके

ममता बनाम प्रेमा दी₀म्₀ वाद सीआईएस संख्या-25/2019

निर्णय दिनांक: 07.11.2020

उपरान्त कभी लेने नहीं आया, जबकि वादीया के घरवालों द्वारा कई बार प्रतिवादी व उसके परिवारजन से वादीया को ले जाने बाबत निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने ले जाने हेत् कोई प्रयास नहीं किया। समाज के लोगों व रिश्तेदारों द्वारा वादीया व प्रतिवादी के दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के सभी प्रयास निष्फल हो गए। इस कारण वादीया व प्रतिवादी के मध्य हुए विवाह को विधि अनुसार विच्छेद किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वादीया 2012 से अभित्यक्त जीवन यापन कर रही है व वैवाहिक सुख से वंचित है तथा निरन्तर अपने पीहर में निवास कर रही है। दोनों पक्षों के मध्य समाज के लोगों, परिवारजनों, रिश्तेदारों ने मिल बैठकर उनके मध्य सामाजिक स्तर पर दिनांक 06.02.2013 को राजीनामा विवाह विच्छेद करा दिया है, जिसकी एक तहरीरी भी दोनों पक्षों के मध्य रूबरू गवाहान व पंच पटेलों की उपस्थिति में लिखी गई है, जिसके अनुसार वादीया व प्रतिवादी अपना-अपना जीवन यापन अपने तरीके से करने के लिए स्वतंत्र है तथा पक्षकारान का एक-दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा है। दिनांक 03.02.2013 की लिखत के उपरान्त दोनों पक्षों के बीच दाम्पत्य संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। अलग-अलग जीवन यापन कर रहे है। वादीया व प्रतिवादी के मध्य कानूनी विधि के अनुसार विवाह विच्छेद नहीं होने के कारण वादीया ने प्रतिवादी को पूर्व में कई बार विधि अनुसार न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का निवेदन किया गया, लेकिन प्रतिवादी हर बार टालमटोल करता रहा, जिस पर वादीया ने माह जुलाई, 2019 में प्रतिवादी को विधि अन्सार न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की उद्घोषणा करवाकर डिक्री प्राप्त करने हेत् निवेदन किया, किन्त् प्रतिवादी द्वारा इन्कार कर दिया गया। इस कारण उक्त वाद विवाह विच्छेद की उद्घोषणा हेतु न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक ह्आ है, जिसे स्वीकार किया जाकर वादीया व प्रतिवादी के मध्य हुए विवाह को विच्छेदित कर विवाह विच्छेद की उद्घोषणा करते हुए वादीया के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा वादीया का वर्ष 2012 से निरन्तर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परित्याग किए जाने व दोनों पक्षों के मध्य सामाजिक स्तर पर वर्ष 2013 में विवाह विच्छेद हो जाने व दिनांक 06.02.2013 को राजीनामा विवाह विच्छेद लिखे जाने व जुलाई 2019 में प्रतिवादी द्वारा विधि अन्सार न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने से इन्कार कर दिए

ममता बनाम प्रेमा दी₀म्₀ वाद सीआईएस संख्या-25/2019

निर्णय दिनांक: 07.11.2020

जाने के कारण उत्पन्न हुआ है, जो अनवरत जारी है। प्रतिवादी का निवास स्थान न्यायालय के क्षेत्राधिर में स्थित होने तथा पक्षकारान द्वारा अंतिम बार दाम्पत्य जीवन की पालना एकसाथ बतौर पित-पत्नी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किए जाने से प्रस्तुत वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। पक्षकारान पर हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, इस कारण वादीया उक्त वाद निर्धारित न्यायशुक्क पर नियमानुसार दो प्रतियों में पेश कर रही है। पक्षकारान् के मध्य कोई दुरभीसंधि नहीं है, विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है। वादीया ने अपने विवाह का पंजीयन किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष नहीं करवाया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् विवाह विच्छेद की वादीया के पक्ष में पारित की जाकर वादीया व प्रतिवादी के मध्य हुए विवाह को विच्छेदित किया जाकर वादीया व प्रतिवादी के विवाह विच्छेद की उद्घोषणा किये जाने के आदेश प्रदान करे। वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ।

- 2. प्रतिवादी बाद तामील अनुपस्थित रहा, जिस पर उसके विरूद्ध दिनांक 05.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
- 3. एकतरफा कार्यवाही के दौराने विचारण वादीया की ओर से स्वयं वादीया ममता पी डब्ल्य-1, रामप्रसाद पी डब्ल्य् 2, सोराज पी डब्ल्य् 3 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 1 इकरारनामा दिनांक 06.02.2013 व प्रदर्श 2 जाति प्रमाण पत्र वादीया प्रदर्शित करवाये गये। अन्य कोई गवाह पेश नहीं किया गया।
- 4. न्यायालय के समक्ष प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण वास्ते निम्न विचारणीय बिन्द् है:-
 - 1. आया, वादीया प्रतिवादी के विरुद्ध उनके मध्य वर्ष 1998 में संपन्न हुए विवाह के विच्छेद हेतु विवाह विच्छेद उद्घोषणा डिक्री प्राप्त करने की अधिकारीणी है?
- 5. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के परिपेक्ष्य में साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। गवाह पी डब्ल्यू 1 ममता, वादीया स्वयं ने अपने शपथ पत्र पर वाद पत्र के कथनों का दोहरान करते हुए कथन किये हैं तथा इकरारनामे प्रदर्श 1 तथा जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 को न्यायालय के समक्ष रखा है। न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया। प्रदर्श 2 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है,

ममता बनाम प्रेमा दीःमः वाद सीआईएस संख्या-25/2019

निर्णय दिनांक: 07.11.2020

जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया अनुसूचित जनजाति से है। इकरारनामा प्रदर्श 1 बाबत् विवाह विच्छेद का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रतिवादी प्रेमा एवं वादीया ममता के मध्य विवाह को स्वीकृत करने के पश्चात् दोनों पक्षकारों ने आपसी वैचारिक सामन्जस्य के अभाव में विवाह विच्छेद किया है। उक्त इकरारनामा गवाहान् की उपस्थिति में लिखा गया है, जिनमें से गवाह रामप्रसाद पी डब्ल्यू 2 तथा सोराज पी डब्ल्यू 3 न्यायालय के समक्ष परीक्षित होते हुए उक्त इकरारनामें पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान करते हैं तथा अपने शपथ पत्र के माध्यम से पक्षकारान् के मध्य हुए विवाह विच्छेद इकरारनामें की पुष्टि करते हैं। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादीया के वाद पत्र को खण्डित नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

6. अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादीया व प्रतिवादी के मध्य वर्ष 1998 को संपन्न हुए विवाह को विच्छेदित किया जाकर, विवाह विच्छेद उद्घोषित किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाये।

(जितेन्द्र रैया) सिविल न्यायाधीश, दूनी जिला टोंक

7. निर्णय आज दिनांक 07 नवम्बर, 2020 को खुले न्यायालय में लिपिबद्ध कराया जाकर स्नाया गया।

> (जितेन्द्र रैया) सिविल न्यायाधीश, दूनी जिला टोंक